



**JALAUN POLICE**

**“Operation Conviction”**

**दिनांक 06.07.2026**

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना कुठौंद पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 17,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त लाखन पुत्र करनजू निवासी ग्राम विजवाहा थाना कुठौंद के विरुद्ध थाना कुठौंद पर मु०अ०सं० 117/19 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना कुठौंद पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 17,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी  
रणकेन्द्र भदौरिया



श्री परमहंस तिवारी  
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० सुधीर सिंह कोर्ट  
मुहरिर



का० आशीष  
कोर्ट पैरोकार